न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— भवानी सिह, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या— 17 / 2014

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| सायरसिंह पुत्र ऊंकारसिंह<br>जाति राजपूत निवासी<br>बिणजारी तहसील पर्वतसर<br>जिला नागौर | | 1. अर्जुनराम पुत्र जीयाराम<br>2. गोविन्दराम पुत्र जीयाराम<br>3. राजूराम पुत्र जीयाराम<br>4. तेजाराम पुत्र जीयाराम<br>5. मांगूडी पत्नी जीयाराम<br>जातियान जाट<br>निवासीगण झाक<br>तहसील बिलाड़ा<br>जिला जोधपुर<br>7. राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार बिलाड़ा |

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

**उपस्थितिः—** वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या—1 से 3, 5 की ओर से श्री नारायणसिंह सोढा एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या—4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या—6 सरकारी पैरोकार

**निर्णय** दिनांकः— 6/2/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा आयी हुयी है। उक्त भूमि जीयाराम, घेवरराम पिसरान हीराराम जाति जाट की खातेदारी की थी। जिसमें से घेवरराम लाऔलाद फौत हो गया। खातेदार घेवरराम के स्थान पर उसके सगे भाई जीयाराम के नाम से भूमि की खातेदारी दर्ज की गयी। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा के मूल खातेदार जीयाराम का देहान्त हो जाने पर उसके नाबालिग पुत्र अप्रार्थी संख्या—1 से 4 तथा उसकी पत्नी अप्रार्थी संख्या—5 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नमबर 693 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा में से 7 बीघा 7 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर वादी को दिनांक 14.12.1995 को कर दिया, जो रजिस्टर्ड बैचाननामा का दस्तावेज दिनांक 14.12.1995 को पुस्तक संख्या—प्रथम, जिल्द संख्या—70, पृष्ठ संख्या—160, क्रम संख्या—1460 / 15 पर उपपंजीयक बिलाड़ा में पंजीयन किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

वादी द्वारा जब से भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा की भूमि को प्रतिवादी संख्या–1 से 5 से दिनांक 14.12.1995 को खरीद किया गया तब से वादी का कब्जा एवं काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी सायरसिंह ने बैचाननामा के जरिये म्यूटेशन स्वीकृति के लिए तत्कालीन हल्का पटवारी को रजिस्ट्री की नकल दे दी गयी थी तथा वादी इसी विश्वास में रहा कि म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया है, इस कारण वादी ने उपरोक्त खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 693 के राजस्व रेकर्ड की ओर कभी ध्यान ही नही दिया है। अभी दस दिन पहले वादी अपनी खरीदशुदा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया और जमाबंदी की नकल देने को कहा तो हल्का पटवारी ने वादी को बताया कि आपका नाम इस जमाबंदी में दर्ज नही किया हुआ है, तो वादी ने तहसील कार्यालय से पुरानी जमाबंदीयों की नकल प्राप्त की तो वादी को जानकारी हुयी कि बैचाननामा का म्यूटेशन ही स्वीकृत नही किया हुआ है, फिर भी वादी प्रतिवादी संख्या–1 से 5 के पास गया और निवेदन किया कि आपका नाम रेकर्ड में गलत चल रहा है और तहसील में चलकर बैचान करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या–1 से 5 ने वादी को धमकी दी कि रेकर्ड का फायदा उठाकर भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर देंगे। वादी सद्भावी खरीददार है तथा उसने रेकर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या–1 से 5 ने उसके हिस्से की भूमि को पुरी किम्मत देकर जरिये रजिस्टर्ड खरीद किया है। तथा खरीदशुदा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या–1 से 5 ने भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा में से अपने हिस्से की 7 बीघा 7 बिस्वा को वादी को बैचान कर दिया है, इस कारण प्रतिवादी संख्या–1 से 5 का विवादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार नही है। अतः वादी भूमि खरीद के आधार पर अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी को ग्राम झाक तहसील धिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा का रेकर्डेड खातेदार जरिये बैचान दिनांक 14.12.1995 के आधार पर घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

वादी का दावा को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 से 3, 5 की ओर से श्री नारायणसिंह सोढा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–4 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त नही होने के कारण अखबार में छाया करवाया गया, उसके बावजूद भी प्रतिवादी सख्या–4 उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादी संख्या–6 प्रफोर्मा पक्षकार होने के कारण जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 से 3, 5 की ओर से जवाब पेश किया, जिसके जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या–1 जवाब की आवश्यकता नही हैं। पद संख्या–2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या–1 से 5 ने अपनी कृषि भूमि को वादी को दिनांक 14.12.1995 को बेचान नही किया, कथित बैचाननामा बीना प्रतिफल दिये कपटपूर्वक निष्पादित करवाया गया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादी का कब्जा नही है। प्रतिवादीगण कब्जे के संबंध में कमीश्नर नियुक्त करवा कर कमीश्नर मौका दिखाने को तैयार है। अगर बैचान होता तो अवश्य ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाती वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2014 तक अमल दरामद नही कराया है, वादी ने कब्जा प्राप्ति की प्रार्थना नही की है, क्योंकि वादी का उक्त दस्तावेज कपटपूर्वक मात्र 500 रूपये उधार देकर उधार का लिखत के बहाने कपट से ऐसा बैचान निष्पादित किया है, जिसकी जानकारी इस वाद के सम्मन मिलने पर मालूम पड़ा। इसके संबंध में वादी के विरूद्ध अन्य उचित कार्यवाही की जायेगी। वादी का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नही है। प्रतिवादी के कब्जे के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, गिरदावरी साथ में पेश है। वादी द्वारा स्वकल्पित बैचाननामा उधार देकर, जिसका भूगतान प्रतिवादी ने 6 माह की अवधि में वापिस कर दिया है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का दावा मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा वादी के समर्थन में दो गवाह पी डब्ल्यू–2 सुमेरसिंह तथा पी डब्ल्यू–3 सेणाराम के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये तथा वादी ने अपने वाद पत्र के दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 खसरा नम्बर 693, प्रदर्श–2 बेचाननामा अर्जुनराम बहक सायरसिंह दिनांक 14.12.1995, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 खसरा नम्बर 693, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 खसरा नम्बर 693 आदि को पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या–1 से 3, 5 की ओर कोई दस्तावेज प्रदर्शित नही कराये गये है।

उभय पक्षकारान के उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गयी और तनकीवार विनिश्चय निम्न प्रकार से है:–

1. आया वादी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा के रेकर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या–1 से 5 से जरिये रजिस्टर्ड खरीद दिनांक 14.12.1995 के आधार पर खातेदारी काश्तकारी की घोषित कराने के अधिकारी है? जिम्मे वादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने दावे में अंकित किया है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 से 5 की थी। खातेदार प्रतिवादी संख्या–1 से 5 ने दिनांक 14.12.1995 को वादी को भूमि का बैचान कर दिया एवं प्रतिफल की पच्चीस हजार रूपये की राशि को प्राप्त कर भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया, तब से वादी विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 से 5 का ने जवाब में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 से 5 ने भूमि का बैचान नही किया है तथा न ही भूमि का कब्जा सुपुर्द किया है। वादी ने कपटपूर्वक बैचाननामा को निष्पादित कराया है। प्रतिवादी ने 500 रूपये उधार प्राप्त किये, उसके बदले में वादी को बैचाननामा निष्पादित किया गया है, उन 500 रूपये उधार राशि को प्रतिवादीगण ने वापिस अदा कर दी है।

वादी अधिवक्ता ने बहस में अपने दावे के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि बैचाननामा दिनांक 14.12.1995 के आधार पर वादी के पक्ष की घोषणा की जावे और राजस्व रेकर्ड में उसका नाम दर्ज किया जावें। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या–1, 3, 5 की ओर से कथन किया गया कि प्रतिवादीगण ने कोई भूमि का बैचान नही किया है, मात्र उधार राशि को लेकर कपटपूर्वक बेचान निष्पादित करवा दिया है। वादी का कब्जा नही है। जो खारीज किये जाने योग्य है।

इन तर्को के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने बैचाननामा दिनांक 14.12.1995 के आधार पर अपने पक्ष का जारी किया हुआ विक्रय पत्र की घोषणा राजस्व रेकर्ड में कराने हेतु का यह दावा पेश किया है। मौजूदा वाद में वादी पी डब्ल्यू–1 सायरसिंह स्वयं बतौर साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ उसने जीरह में बताया कि मैनें भूमि खसरा नम्बर 693 की खरीद की है। मैने 7 बीघा भूमि को खरीद किया है। मैने जमीन खरीदी उसके पड़ौस उतर में:– प्रतिवादीगण की भूमि, दक्षिण दूदाराम व मादाराम, पूर्व में बंजड़, पश्चिम में बंजड़ की भूमि है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो। बेचान रजिस्ट्री में गोविन्दराम, राजूराम, तेजाराम के हस्ताक्षर नही है, अजखुद कहा कि वो नाबालिग थे, लेकिन उनकी तरफ से उसकी मां के हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि मांगूडी को प्रतिवादी की भूमि को बैचने का अधिकार नही है। यह कहना गलत है कि आज तारीख को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने फसल बो रखी हो। रजिस्ट्री कराने के बाद भूमि पर मेरा कब्जा है। वादी का गवाह पी डब्ल्यू–2 सुमेरसिंह ने अपनी जीरह

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में बताया कि जब बैचान की लिखा पढी की गयी, वह लिखा पढी मेरे सामने की गयी। वादग्रस्त भूमि का बैचान सन् 1995 में हुआ था, जिसकी रकम पच्चीस हजार रूपये में बैची थी। मैं साख का गवाह हूं। यह बात गलत है कि विवादग्रस्त भूमि पर अर्जुनराम का कब्जा हो। वादी का गवाह पी डब्ल्यू–3 सेणाराम ने अपनी जीरह में बताया कि मैं पश्चिम दिशा का पड़ौसी हूं। विवादग्रस्त भूमि मेरे खेत से 100 कदम दूर है। विवादग्रस्त भूमि पर फसल सायरसिंह ने बोई। प्रतिवादी अर्जुनराम ने साक्ष्य का शपथ पत्र को पेश किया, जिनसे वादी अधिवक्ता ने जीरह की गयी, प्रतिवादी अर्जुनराम ने जीरह में बताया कि यह बात सही है कि ग्राम झाक के खसरा नम्बर 693 रकबा 19.03 बिस्वा आयी हुयी है। यह बात सही है कि विवादित भूमि की खातेदारी जीयाराम, घेवरराम जाति जाट की थी, मेरे बडे पिता घेवरराम लाऔलाद फौत हो गये, मेरे पिता का देहान्त हुआ, तब उनके चारपुत्र अर्जुनराम, गोविन्दराम, राजूराम, तेजाराम तथा पत्नी मांगूडी थी। मेरे पिता का फौतेदगी नामान्तरकरण हम चार पुत्र व मेरी मां के नाम से स्वीकृत किया गया। बैचाननामा का स्टाम्प सायरसिंह ने खरीद किया। प्रदर्श–1 पर बैचाननामा पर मेरी माता की फोटू लगी हुयी है तथा तथा मेरी स्वयं की फोटू लगी हुयी है तथा मेरी मां के अंगूठा का निशान है। भूमि का बैचान नही किया, हमने तो एग्रीमेन्ट किया था, बैचान की प्रतिफल की राशि 25,000/– रूपये खड्डे बुराई के दिये थे। संग्रामराम पुत्र बालूराम जाट ने मेरे कहने से साख डाली है। मैने खड्डा खोदने हेतु वादी को भूमि सुपुर्द की है। बैचाननामा फर्जी होने के बाबत् पुलिस में कार्यवाही नही की तथा न ही बैचाननामा को निरस्त कराने हेतु सिविल वाद को पेश किया है। यह बात सही मेरे वकील व मेरे दस्तावेज के अनुसार बयान देने आया हूं। प्रतिवादी अर्जुनराम के अलावा अन्य कोई प्रतिवादी की ओर से गवाह के तौर पर उपस्थित नही हुये है।

मौजूदा वाद में बैचाननामा दिनांक 14.12.1995 को अवलोकन किया, जो न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–3 ए के रूप में उपलब्ध है। उक्त बैचाननामा में वर्णित तथ्य लिखा गया कि उपरोक्त आराजी का कब्जा आपको सुपुर्द कर दिया है तथा कब्जा प्राप्त कर लिया है, जिसकी प्रतिफल की राशि को प्राप्त कर ली गयी है, उक्त बैची गयी आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम से स्वीकृत करवा लेंगे तथा गोविन्दराम, राजूराम, तेजाराम नाबालिग है, जो मांगूडी के पास रहते है व परवरिश में ही करती हूं। मैने नाबालिग पुत्रों के विकास कार्य हेतु कुछ भाग बैचान किया है। प्रतिवादी अर्जुनराम बतौर गवाह के तौर पर परिक्षित कराया गया, जिसने जीरह में स्वीकार किया है कि बैचाननामा पर मेरी तथा मेरी मां की फोटू लगी हुयी है। बैचाननामा पर हस्ताक्षर करना स्वीकार

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

किया है। उक्त भूमि बैचान की प्रतिफल की राशि पच्चीस हजार रूपये प्राप्त करना स्वीकार किया है। प्रतिवादी अर्जुनराम ने विवादित भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करना स्वीकार किया है। इसके विपरीत वादी ने बैचाननामा मे साख डालने वाले सुमेरसिंह को परिक्षित करवाया, जिसने जीरह में बताया कि प्रतिफल की राशि मेरे सामने सुपुर्द की गयी थी। पी डब्ल्यू–3 सेणाराम ने जीरह में बताया कि विवादित भूमि का पश्चिम दिशा का पड़ौसी हूं और मौके पर सायरसिंह काबिज हैं। अतः प्रतिवादी अर्जुनराम द्वारा जीरह में यह स्वीकार किया कि भूमि बैचान की प्रतिफल की राशि को प्राप्त किया है तथा भूमि बेचान का कब्जा सुपुर्द किया गया है। प्रतिवादी का यह कथन रहा कि वादी ने प्रतिवादीगण को मात्र पांच सौ रूपये उधार देकर कपटपूर्वक भूमि का बेचान अपने पक्ष में करवा दिया है, जिसके लिए प्रतिवादी ने बेचाननामा निरस्त कराने की कोई कार्यवाही आज दिन तक नही की गयी है, अगर रूपये उधार को लेकर कपटपूर्वक वादी ने बैचान अपने पक्ष का निष्पादित करवाया है तो प्रतिवादी बैचाननामा को लेकर अवश्य ही पुलिस से कार्यवाही करते और बैचान को निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में चारा जोही करते। उक्त पत्रावली में प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किया कि बैचान फर्जी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादी से प्रतिफल की राशि को प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द करने के कारण वादी अपनी खरीदशुदा भूमि का खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया प्रतिवादी संख्या–1 से 5 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?

जिम्मे वादी

तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष में तय हो जाने के कारण उक्त तनकी संख्या–2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

आया वादी खरीदशुदा भूमि पर काबिज नही है?

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या–3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। उक्त तनकी के संबंध में प्रतिवादी अर्जुनराम ने जीरह में यह स्वीकार किया है कि बैचाननामा पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है तथा प्रतिफल की पच्चीस हजार रूपये की राशि को प्राप्त किया है तथा भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द किया है। इस कारण प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति से यह साबित

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

हो जाता है कि विवादित भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द किया गया है। अगर प्रतिवादी भूमि पर काबिज है तो उसके द्वारा कोई स्थायी निषेधाज्ञा की मांग आदि नही की गयी है तथा न ही कोई काउण्टर वाद आदि को पेश किया है, अतः तनकी संख्या–3 प्रतिवादी के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में तय की जाती है।

4. अनुतोषः– तनकी संख्या–1 से 2 वादी के पक्ष में स्वीकृत होने से वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

वादी का दावा स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किया जाता है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा में से 7 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी काश्तकारी की घोषित भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही करे तथा न ही अपने नौकर, एजेण्ट या अन्य किसी से कोई दखल आदि करावें। तहसीलदार बिलाड़ा माफिक निर्णय मय डिक्री खर्चा का नामान्तरकरण स्वीकृत करे। अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/2/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

## अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
व इजलास सोहन लाल,आई.ए.एस.

**वादीगण**

सायरसिंह पुत्र ऊंकारसिंह
जाति राजपूत निवासी
बिणजारी तहसील पर्वतसर
जिला नागौर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. अर्जुनराम पुत्र जीयाराम
2. गोविन्दराम पुत्र जीयाराम
3. राजूराम पुत्र जीयाराम
4. तेजाराम पुत्र जीयाराम
5. मांगूडी पत्नी जीयाराम
   जातियान जाट
   निवासीगण झाक
   तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

### दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 17 / 2014

निर्णय दिनांक :– 6/2/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 की ओर से श्री नारायणसिंह सोढा एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या–4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही तथा प्रतिवादी संख्या–6 सरकारी पेरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा में से 7 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो. वादी की खातेदारी काश्तकारी की घोषित भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही करे तथा न ही अपने नौकर, एजेण्ट या अन्य किसी से कोई दखल आदि करावें। तहसीलदार बिलाड़ा माफिक निर्णय मय डिक्री खर्चा का नामान्तरकरण स्वीकृत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

**तीज – मुबलिग – बाबत् –**

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बतौर मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/2/23 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा